


# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

पार्थी पूरण विपक्षी धीरा  
 क्रम मुकदमा २१६ पत्रावली संख्या १०११८ सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>१३/१/२३</u>                      पत्रावली फेरा कुंड / अचिवरण उभय                      प्रकरण उप.   अचिवरण उचितवादीगण/गण                      पत्रावली का अवरत पत्रावली / अवरत दिनांक                      पत्रावली दिनांक १७/३/२३ को पेश हो।</p>	
	<p><u>१९/९/२३</u>                      आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली                      में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया।                      अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.....                      ...<u>२६/९/२३</u>... को पेश हो।</p>	
	<p><u>२०/४/२३</u>                      पत्रावली तलब की गई। "प्रशासन गांवों के संगे                      अभियान-२०२३" आयोजित किया जाने से पत्रावली                      में अधिवक्ता पक्षकारों को सूचित किया जाकर                      पत्रावली कैम्प <u>दिनांक १७/५/२३</u> को पेश हो।</p>	
	<p>सहायक कलक्टर एवं                      कार्यपालक मजिस्ट्रेट                      (फास्ट ट्रेक) मावली</p>	
	<p><u>१७/५/२३</u>                      पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई।                      प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-                      नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली                      पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय                      हाजा में दिनांक-<u>२५/८/२३</u> को                      पेश हो।</p>	
	<p>सहायक कलक्टर एवं                      कार्यपालक मजिस्ट्रेट                      (फास्ट ट्रेक) मावली</p>	



25/8/23

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय  
पक्षकारान् उभ.। अधि. वादी द्वारा फी. 450  
0। R10(2) CPC का पेश किया, अ. का. री  
नकल दिलाई गई। पत्रावली वाले पत्राव फी. 450  
दिनांक 20/10/23 को पेश है।

✓

20/10/23

वकीलाय वादी/ प्रतिवादी उभ. पत्रावली फी. 450  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः 26  
आवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/10/23  
को पेश हो।

SDO, मावली

22/10/23

पत्रावली पेश हुई। अधि. वादी मध्य वादी व  
प्रति. से. 5 से 7 मध्य अधिवक्ता अनुपस्थित।  
उभय पक्षकारान् की भावजे दिलाई गई। समय  
सांघ 5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अतः  
अधिवक्ता मध्य वादी व प्रति. से. 5 से 7 मध्य अधिवक्ता  
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद व प्रतिवादी से. 5 से 7  
का प्रतिवाद अद्य राजरी अद्य पेशी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फीसल सुमार होकर नम्बर से कम है।  
निर्णय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) मावली